

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2034

दिनांक : ०५/८/२०२२

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, १ए/१-२, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधिकता परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सर्वान्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा—प्रामूल का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सर्वान्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक 16.06.2022 के आलोक में मा० कुलपति जी के आदेशानुसार ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, १ए/१-२, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्त के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, १ए/१-२, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।
3. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया 21, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Ch. 05/8/2022
कुलसचिव
L.B.

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / १४४८
दिनांक : २८.६.२०१७

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—९७५/७९-वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा—३७(२) के परन्तुक के अधीन ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कृतिपूर्ण शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१७ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

०१. संस्था द्वारा उ०प्र० २००३ राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा—३७(२) में प्राविधिक अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
०२. कृतिपूर्ण संस्थानों/महाविद्यालयों के सर्वान्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कर्मियों यथा—प्रामाण पत्र का नवीनीकरण, अनिशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एल०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कर्मियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
०३. संस्थान/महाविद्यालय सर्वान्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कर्मियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
०४. संस्था शासनादेश संख्या—२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
०५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक २१.०६.२०१७ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१७ से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमीटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
८. गाड़ फाइल हेतु।

१०८
General Secretary २८.६.१७
Ishan Institute of Law कुलसचिव
Greater Noida ४५

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ५१९३
दिनांक : २९.१२.२०१८

सेवा में,

सचिव

बार कॉर्सिल ऑफ इण्डिया

21, राज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया

नई दिल्ली

विषय :- बार कॉर्सिल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के बिन्दु 16(1) एवं
(2) के सम्बन्ध में।

महोदय,

ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९- वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा-३७ की उपधारा-२ द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में दिनांक ०१.०७.२०१७ से स्थायी (Permanent) सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करते हुए बार कॉर्सिल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के बिन्दु 16(1) एवं (2) का संज्ञान लेने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। यदि बार काउन्सिल द्वारा संदर्भित संस्थान को शैक्षिक सत्र २०१८-२०१९ से सीटों की अनुमति प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

General Secretary
Ishan Institute of Law
Greater Noida

५१९३
२९.१२.२०१८
कुलसचिव
[Signature]